

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान गुरविन्द सिंह बनाम सुखविन्द सिंह

प्रकरण संख्या 35 / 2021 अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 ARTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर जो इस पालना
7 4/23	<p>जादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वादी व वादी अधिवक्ता को रफू-2 कर उबार आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। वादी का वावपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 अधिनियम, अधिनियम नम्बर 1957 क्लर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली गिनीति होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर है।</p>	